अ नु क्र मा णि का

पैरा सं.	विवरण
1	बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा व्यापार ऋण ढांचे के अंतर्गत प्रयोग में लाए जानेवाले शब्द
	भाग I -बाह्य वाणिज्यिक उधार ढांचा
2	प्रस्तावना
2.1	बाह्य वाणिज्यिक उधार [ECB] ढांचा
2.2	सीमा तथा लीवरेज
3	भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा गारंटी आदि जारी करना
4	ईसीबी की राशि को पार्क करना
4.1	ईसीबी की राशि को विदेश में पार्क करना
4.2	ईसीबी की राशि को घरेलू स्तर पर पार्क करना
5	ईसीबी जुटाने की प्रक्रिया
6	रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं
6.1	ऋण रजिस्ट्रेशन संख्या [LRN]
6.2	बाह्य वाणिज्यिक उधारों की शर्तों में परिवर्तन
6.3	वास्तविक लेन देन की मासिक रिपोर्ट करना
6.4	रिपोर्टिंग में किए गए विलंब के लिए विलंबित प्रस्तुति शुल्क (एलएसएफ़)
6.5	लापता एंटीटीज़ के लिए मानक परिचालन क्रियाविधि (एसओपी)
7	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों को बाह्य वाणिज्यिक उधार के मामलों पर कार्रवाई करने की शक्तियां
7.1	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक में परिवर्तन
7.2	एलआरएन को रद्द करना
7.3	मौजूदा ईसीबी को पुनर्वित्त प्रदान करना
7.4	बाह्य वाणिज्यिक उधारों का ईक्विटी में रूपांतरण
7.5	बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने के लिए जमानत
7.6	अतिरिक्त आवश्यकताएं
8	ईसीबी ढांचे के अंतर्गत विशेष छूट
8.1	तेल विपणन कंपनियों के लिए ईसीबी सुविधा
8.2	स्टार्ट अप कंपनियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार
9	जिनकी जांच चल रही है ऐसी संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार
10	पुनर्गठन के अधीन एंटीटीज़ द्वारा ईसीबी/ दबावग्रस्त आस्तियों के पुनर्वित्त पोषण के लिए ईसीबी सुविधा
11	सूचना का प्रसारण
12	निदेशों का अनुपालन
	भाग II- व्यापार ऋण ढांचा
13	प्रस्तावना
14	व्यापार ऋण ढांचा
15	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड)/ मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र (एफ़टीडबल्यूज़ेड)/ घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में व्यापार ऋण
16	व्यापार ऋण जुटाने के लिए जमानत
17	रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं
17.1	मासिक रिपोर्टिंग
17.2	[हटाया गया]
18	प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की भूमिका

	भाग III - संरचित बाध्यताएं
19	[हटाया गया]
20	[हटाया गया]

संक्षेपाक्षर

AD	प्राधिकृत व्यापारी
AIC	समग्र लागत [All-in-Cost]
AMP	औसत परिपक्वता अवधि
[2]ARR	वैकल्पिक संदर्भ दर
CIRP	कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया
DSIM	सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
DTA	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र
ECA	निर्यात ऋण एजेंसी
ECB	बाह्य वाणिज्यिक उधार
[3]FATF	वित्तीय कार्रवाई कार्यदल
FCCB	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड
FCEB	विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड
FCY	विदेशी मुद्रा
FDI	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
FEMA	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
FTWZ	मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र
IFSC	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
INR	भारतीय रुपया
LIBOR	लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर
LIN	ऋण पहचान संख्या
LRN	ऋण रजिस्ट्रेशन संख्या
NBFC	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
RBI	भारतीय रिज़र्व बैंक
SEBI	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SEZ	विशेष आर्थिक क्षेत्र
SIDBI	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
TC	व्यापार ऋण
USD	अमेरिकी डॉलर
XBRL	एक्सटेंसीबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लैंगवेज़

[2] दिनांक 8 दिसंबर 2021 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 19 द्वारा जोड़ा गया।

[3] दिनांक 8 दिसंबर 2021 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 19 द्वारा हटाया गया। हटाये जाने से पूर्व इसे EURIBOR अर्थात 'यूरो अंतर-बैंक प्रस्तावित दर' पढ़ा जाता था।

1. मास्टर निदेश में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली

1.1. समग्र लागत: इसमें ब्याज दर, अन्य शुल्क, व्यय, प्रभार, गारंटी शुल्क, निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) प्रभार, चाहे वे विदेशी मुद्रा में अथवा भारतीय रुपयों में ही क्यों न अदा किया गया हो, शामिल है। लेकिन इसमें प्रतिबद्धता शुल्क तथा भारतीय रुपयों में देय कर की रोक के रखी गई राशि शामिल नहीं है। निश्चित दर पर ऋणों के मामले में स्वैप लागत और स्प्रेड दोनों का जोड़ फ्लोटिंग दर और लागू स्प्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्डों (एफ़सीसीबी) के लिए निर्गम से संबंधित व्यय निर्गम के आकार के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा निजी प्लेसमेंट के मामले में यह व्यय निर्गम के आकार के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, आदि। टीसी ढांचे के अंतर्गत समग्र लागत: में ब्याज दर, अन्य शुल्क, व्यय, प्रभार, गारंटी शुल्क, चाहे वे विदेशी मुद्रा में अथवा भारतीय रुपयों में ही क्यों न अदा किया गया हो, शामिल है। भारतीय रुपयों में देय कर की रोक के रखी गई राशि समग्र लागत का हिस्सा नहीं होगी। समग्र लागत के विभिन्न घटकों का उधारकर्ता द्वारा ईसीबी/ टीसी में से आहारित किए बिना भुगतान किया जाना है, अर्थात, ईसीबी/ टीसी से प्राप्त राशि को ब्याज/ प्रभारों के भुगतान के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

1.2. अनुमोदन मार्ग: ईसीबी/ टीसी के ढाँचे के भीतर स्वचालित मार्ग से अथवा अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत ईसीबी/ टीसी जुटाये जा सकते हैं। अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत संभाव्य उधारकर्ताओं को अपने प्राधिकृत व्यापारी [एडी] बैंकों के माध्यम से अपने अनुरोध रिज़र्व बैंक के पास जांच के लिए भेजने पड़ते हैं।

1.3. प्राधिकृत व्यापारी: इसका अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (42 का 1999) की धारा 10 की उप-धारा (1)के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति

1.4. स्वचालित मार्ग: स्वचालित मार्ग के लिए मामलों की प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।(एडी श्रेणी –।) बैंकों द्वारा जांच की जाती है।

1.5. बेंचमार्क दर- [4]विदेशी मुद्रा ईसीबी/ ट्रेड क्रेडिट के मामले में बेंचमार्क दर से आशय है: व्यापक रूप से स्वीकृत कोई भी अंतर-बैंक दर या 6 महीने की अवधि की वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर), जो उधार की मुद्रा पर लागू होगी। रुपये में मूल्यवर्गित ईसीबी के मामले में बेंचमार्क दर होगी भारत सरकार की तदनुरूपी परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों की प्रचलित प्रतिफल राशि ।

1.6. नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक: यह बैंक की वह शाखा है जिसे ईसीबी उधारकर्ता द्वारा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को पूर्ण करने सहित रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या (एलआरएन)/ ऋण पहचान संख्या (एलआईएन) प्राप्त करने, इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों का निष्पादन करने तथा ईसीबी लेनदेन की निगरानी करने के लिए नामित किया गया है।

1.7. ईसीबी देयता –इक्विटि अनुपात : ईसीबी देयता –इक्विटि अनुपात के प्रयोजन के लिए ईसीबी राशि में प्रस्तावित ईसीबी (पुनर्वित्त के मामले में केवल ईसीबी की बकाया राशियाँ) तथा सभी ईसीबी (भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित ईसीबी को छोड़कर) की सभी बकाया राशियाँ शामिल होंगी, जबकि इक्विटि में लेखा परीक्षित अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार प्रदत्त पूंजी तथा निर्बंध आरक्षित निधियाँ (विदेशी मुद्रा में प्राप्त शेयर प्रीमियम सहित) शामिल होंगी। ईसीबी तथा इक्विटि दोनों राशियों की गणना विदेशी इक्विटि धारक के संबंध में की जाएगी। जहां उधारकर्ता कंपनी में एक से अधिक विदेशी इक्विटि धारक हैं, वहाँ केवल संबंधित उधारदाता (उधारदाताओं) द्वारा विदेशी मुद्रा में लाए गए शेयर प्रीमियम के भाग को अनुपात की गणना करने के लिए विचार में लिया जाएगा। अनुपात की गणना लेखा परीक्षित अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार की जाएगी।

1.8**. एफ़एटीएफ़ का अनुपालन करने वाला देश:** कोई देश जो की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफ़एटीएफ़) का सदस्य है अथवा एफ़एटीएफ़ के जैसी किसी क्षेत्रीय निकाय का सदस्य है ; और एक ऐसा देश नहीं है जिसे एफ़एटीएफ़ के सार्वजनिक वक्तव्य में (i) एक ऐसा अधिकार क्षेत्र जिसमें धन शोधन निवारण अथवा आतंकवाद के वित्त पोषण का मुक़ाबला करने संबंधी कार्यनीतिगत कमियाँ हैं जिन पर सुधार के उपाय लागू होते हों; अथवा

---

[4] दिनांक 8 दिसंबर 2021 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 19 द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया है। प्रतिस्थापन से पूर्व इसे "विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत ईसीबी/ टीसी (एफ़सीवाई ईसीबी/ टीसी) का अर्थ है विभिन्न मुद्राओं की 6 माह की लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) अथवा उधार की मुद्रा पर लागू कोई अन्य 6-माह अंतर बैंक ब्याज दर; उदाहरण के लिए यूरो अंतर बैंक प्रस्तावित दर (यूरिबोर)"

(ii) एक ऐसा अधिकार क्षेत्र जिसने कमियों को संबोधित करने में कोई पर्याप्त प्रगति नहीं की है अथवा इन कमियों को संबोधित करने के लिए एफ़एटीएफ़ के साथ विकसित की गई कार्य योजना के लिए प्रतिबद्ध नहीं हुआ है, के रूप में निर्धारित किया गया है।

1.9. विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड(एफ़सीसीबी): का अर्थ है विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लिखत जिन्हें समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड तथा सामान्य शेयरों का निर्गम (निक्षेपागार रसीद तंत्र के माध्यम से) योजना, 1993 के अनुसार जारी किया गया है। एफ़सीसीबी के निर्गम में अन्य यथालागू विनियम का भी पालन किया जाएगा। इसके अलावा एफ़सीसीबी पर कोई वॉरेंट अटैच नहीं किए गए होंगे।

1.10. विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉन्ड (एफ़सीईबी): इसका अर्थ है विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लिखत जिन्हें समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉन्ड योजना, 2008 के अनुसार जारी किया गया है। ये बॉण्ड**,** किसी भी तरीके से या तो पूर्णत: या फिर अंशत: अथवा ऋण लिखतों को अटैच किए गए किसी भी इक्विटि से संबन्धित वारंट के आधार पर किसी दूसरी कंपनी के जिसे ,ऑफर्ड कंपनी कहा जाता है ,इक्विटि शेयार के रूप में बदले जा सकते हैं। एफ़सीईबी के निर्गम में अन्य यथालागू विनियम का भी पालन किया जाएगा।

1.11. विदेशी इक्विटि धारक: शब्दावली का अर्थ है, [क] उधारकर्ता कंपनी में ऋण दाता की न्यूनतम 25 प्रतिशत शेयर धारिता वाला प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी धारक, [ख] न्यूनतम 51 प्रतिशत की अप्रत्यक्ष इक्विटी धारण करने वाला अप्रत्यक्ष इक्विटि धारक, और [ग] एक ही विदेशी मालिक वाली कंपनियों का समूह।

1.12. इनफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र' शब्दावली का अर्थ वही होगा जो कि समय-समय पर यथा संशोधित तथा अद्यतन की गयी अधिसूचना एफ.सं. 13 / 06 / 2009 – आईएनएफ के जरिये भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बुनियादी सुविधा उप क्षेत्रों की हारमोनाईज्ड मास्टर सूची में दिया गया है । बाह्य वाणिज्यिक उधारों के प्रयोजन के लिए, "अन्वेषण, खनन और रिफायनरी" क्षेत्रों को बुनियादी सुविधा क्षेत्र माना जाएगा ।

1.13. इनफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनियाँ : इनफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियाँ, इनफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण करनेवाली गैर बैंकिंग वित्त कंपनियाँ(एनबीएफ़सी), इनफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण करनेवाली होल्डिंग कंपनियाँ/ मूल निवेश कंपनियाँ, राष्ट्रीय आवास बैंक(एनएचबी) तथा पोर्ट ट्रस्ट (महापत्तन न्यास अधीनीयम, 1963 अथवा भारतीय पोर्ट ट्रस्ट अधीनीयम, 1908 के तहत गठित) द्वारा विनियमित आवास वित्त कंपनियाँ।

1.14. आईओएससीओ का अनुपालन करने वाला देश: कोई देश जिसके प्रतिभूति बाजार विनियामक ने सूचना आदान-प्रदान की व्यवस्था के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (परिशिष्ट ए हस्ताक्षर कर्ता) पर हस्ताक्षर किए हैं अथवा भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

1.15. भारत का निवासी व्यक्ति : शब्दावली का अर्थ वही होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 , [फेमा] की धारा 2(v) में परिभाषित किया गया है.

1.16."रियल इस्टेट गतिविधि" में ऐसी कोई भी गतिविधि, जिसमें अपने स्वामित्ववाली अथवा लीज़ पर ली हुई संपत्ति की खरीद, बिक्री तथा वाणिज्यिक एवं आवासीय सम्पत्तियों अथवा जमीन को किराए पर देना शामिल है तथा रियल इस्टेट की खरीद, बिक्री, उसे किराए पर देना अथवा उसके प्रबंधन हेतु मध्यस्थता के लिए शुल्क अथवा करार आधार पर किसी एजेंट को सौंपने संबंधी गतिविधियां भी शामिल हैं। तथापि, इसमें औद्योगिक पार्क/ एकीकृत टाउनशिप/ एसईज़ेड का निर्माण/विकास, नयी परियोजना/ मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण अथवा विस्तार हेतु औद्योगिक भूमि की खरीद / दीर्घकालिक लीज़िंग अथवा "इनफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र" के अंतर्गत आनेवाली कोई भी गतिविधि शामिल नहीं होगी;

1.17. विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र: का अर्थ वही होगा जो की उन्हें समय-समय पर संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में दिया गया है।

भाग-I बाह्य वाणिज्यिक उधार ढांचा

2. प्रस्तावना: बाह्य वाणिज्यिक उधार का अर्थ है पात्र निवासी कंपनियों द्वारा मान्यताप्राप्त अनिवासी कंपनियों से जुटाये गये वाणिज्यिक ऋण। ऐसे ऋण न्यूनतम परिपक्वता अवधि, अनुमत और अनुमति न दिये गये अंतिम उपयोग, अधिकतम समग्र लागत [all-in-cost] की उच्चतम सीमा आदि जैसे मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए। ये मानदंड समग्र रूप से लागू होते हैं, और वे अलग-अलग रूप से लागू नहीं होते ।

2.1 ईसीबी फ्रेमवर्क : ईसीबी के माध्यम से ऋण जुटाने के ढांचे (इसके बाद यहाँ इसे ईसीबी ढांचा कहा जाएगा) में निम्नलिखित दो विकल्प मौजूद हैं:

क्र.सं.	मानदंड	विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ईसीबी	भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित ईसीबी
i	उधार की मुद्रा	कोई भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा	भारतीय रुपया (आईएनआर)
ii	ईसीबी के प्रकार	बैंक ऋण सहित अन्य ऋण; अस्थायी (फ्लोटिंग)/ निश्चित दर नोट/ बॉन्ड/ डिबैंचर (पूर्णतः तथा अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय लिखतों को छोड़कर); 3 वर्ष से अधिक के व्यापार ऋण; एफ़सीसीबी; एफ़सीईबी तथा वित्तीय पट्टा	बैंक ऋण सहित अन्य ऋण; अस्थायी (फ्लोटिंग)/ निश्चित दर नोट/ बॉन्ड/ डिबैंचर/ अधिमान्य शेयर्स (पूर्णतः तथा अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय लिखतों को छोड़कर); 3 वर्ष से अधिक के व्यापार ऋण; एफ़सीसीबी; एफ़सीईबी तथा वित्तीय पट्टा। विदेश में जारी किए गए रुपये में मूल्यवर्गित वनिल्ला बॉन्ड(आरडीबी), जिन्हें मेजबान देश के विनियमों के अनुसार निजी रूप से प्लेस किया जा सकता है अथवा एक्स्चेंज पर सूचीबद्ध किया जा सकता है।
iii	पात्र उधारकर्ता	सभी एंटीटिज जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। साथ ही निम्नलिखित एंटीटिज भी ईसीबी जुटाने के लिए पात्र हैं: i) पोर्ट ट्रस्ट : ii) विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयां: iii) सिडबी; iv) एक्सिम बैंक;	ए) सभी एंटीटिज जो विदेशी मुद्रा में ईसीबी जुटाने के लिए पात्र हैं; और बी) पंजीकृत एंटीटीज़ जो सूक्ष्म वित्त गतिविधियों में लिप्त हैं अर्थात रजिस्टर की गयी कंपनियां जो लाभ पानेवाली नहीं हैं, रजिस्टर की गई समितियां और न्यास और सहकारी समितियां तथा गैर सरकारी संगठन।
iv	मान्यताप्राप्त उधारदाता	उधारदाता ईसीबी के अंतरण सहित ऐसे देश का निवासी होना चाहिए जो की एफ़एटीएफ़ अथवा आईओएससीओ का अनुपालन करता है। तथापि, ए) बहुविध तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं जहां भारत एक सदस्य देश है को भी मान्यताप्राप्त उधारदाता माना जाएगा; बी) उधारदाता के रूप में एकल व्यक्तियों को केवल विदेशी इक्विटि धारक होने पर अथवा विदेश में सूचीबद्ध बॉन्ड/ डिबैंचर्स में अभिदान के लिए अनुमति होगी; तथा	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>सी) भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ अनुषंगी कंपनियों को केवल विदेशी मुद्रा ईसीबी (एफ़सीसीबी तथा एफ़सीईबी को छोड़कर) के लिए मान्यताप्राप्त उधारकर्ता के रूप में अनुमति है। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएँ/ अनुषंगी कंपनियाँ , यथालागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन विदेश में जारी किए गए रुपये में मूल्यवर्गित बॉन्ड के लिए अरेंजर्स/ हामीदार/ मार्केट-मेकर्स/ ट्रेडर्स के रूप में सहभागी हो सकते हैं। तथापि भारतीय बैंकों के निर्गमों के लिए भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ अनुषंगी कंपनियों द्वारा हामीदारी को अनुमति नहीं दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>v</td><td>न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि</td><td>ईसीबी के लिए न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि (एमएएमपी) 3 वर्ष होगी । न्यूनतम औसत परिपक्वता को पूर्ण करने से पहले कॉल तथा पुट ऑप्शन, यदि कोई हो, को निष्पादित नहीं किया जा सकेगा। तथापि नीचे उल्लिखित विशिष्ट श्रेणियों के लिए एमएएमपी उसमें निर्धारित किए गए अनुसार होगी : साथ ही यदि ईसीबी विदेशी इक्विटि धारक से जुटायी गई है तथा कार्यकारी पूंजी के प्रयोजन सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजन अथवा रुपया ऋणों की चुकौती के लिए उपयोग में लाई गई है तो एमएएमपी होगी:
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>श्रेणी</th><th>एमएएमपी</th></tr>
<tr><td>ए</td><td>निर्माण क्षेत्र की कंपनियाँ द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष 50 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समकक्ष राशि तक जुटाई गई ईसीबी</td><td>1 वर्ष</td></tr>
<tr><td>बी</td><td>कार्यकारी पूंजी के प्रयोजन, सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजन अथवा रुपया ऋणों की चुकौती के लिए विदेशी इक्विटि धारक से जुटायी गई ईसीबी</td><td>5 वर्ष</td></tr>
<tr><td>[5]सी</td><td>निम्नलिखित केलिए जुटाई गई ईसीबी:
(i) कार्यकारी पूंजी के प्रयोजन अथवा
सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजन
(ii) एनबीएफ़सी द्वारा कार्यकारी पूंजी के प्रयोजनों अथवा सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजनों के लिए आगे उधार देने के लिए</td><td>10 वर्ष</td></tr>
<tr><td>डी</td><td>निम्नलिखित केलिए जुटाई गई ईसीबी:
(i) पूंजीगत व्यय के लिए घरेलू रूप से लिए गए रुपया ऋण की चुकौती के लिए
(ii) एनबीएफ़सी द्वारा उसी प्रयोजन के लिए आगे उधार देने हेतु</td><td>7 वर्ष</td></tr>
<tr><td>ई</td><td>निम्नलिखित केलिए जुटाई गई ईसीबी:</td><td>10 वर्ष</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

[5] दिनांक 30 जुलाई 2019 के ए.पी [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं. 04 द्वारा समाविष्ट किया गया।

		(i) पूंजीगत व्यय से अन्य प्रयोजनों के लिए घरेलू तौर पर लिए गए रुपया ऋणों की चुकौती के लिए (ii) एनबीएफ़सी द्वारा उन्हीं प्रयोजनों के लिए आगे उधार देने के लिए	
		(बी) से (ई) पर उल्लिखित श्रेणियों के लिए – (i) ईसीबी भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ अनुषंगी कंपनियों से जुटाई नहीं जा सकती है (ii) सभी परिस्थितियों में निर्धारित एमएएमपी का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।	
vi	प्रति वर्ष समग्र लागत सीमा	[6]बेंचमार्क दर अधिक **550 आधार अंकों** का स्प्रेड : लिबोर से जुड़ी मौजूदा ईसीबी/टीसी, जिनके बेंचमार्क को वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) में बदल दिया गया है। बेंचमार्क दर अधिक **500 आधार अंकों** का स्प्रेड**:** नयी ईसीबी हेतु।	बेंचमार्क दर अधिक 450 आधार अंकों का स्प्रेड।
		[7]दिनांक 31 दिसंबर 2022 तक जुटाई जाने वाली ईसीबी के लिए समग्र लागत सीमा को 100 आधार अंकों से बढ़ाया गया है। बढ़ी हुई समग्र लागत सीमा केवल भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) से निवेश ग्रेड रेटिंग के पात्र उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। अन्य पात्र उधारकर्ता पहले की भाँति मौजूदा समग्र लागत सीमा के भीतर ईसीबी जुटा सकते हैं।	
vii	अन्य लागत	चूक के लिए अथवा प्रसंविदा [covenants] के उल्लंघन के लिए यदि कोई पूर्व भुगतान प्रभार / दंडात्मक ब्याज लगाया गया हो तो वह मूलधन की बकाया राशि पर संविदाकृत ब्याज दर के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा समग्र लागत सीमा से बाहर होगा।	
viii	अंतिम-उपयोग (नकारात्मक सूची)	ईसीबी से प्राप्त राशि जिन प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लायी जा सकती है, उनकी नकारात्मक सूची में निम्नलिखित को शामिल किया गया है: ए) स्थावर संपदा से संबंधित गतिविधियां बी) पूंजी बाज़ार में निवेश सी) इक्विटि निवेश डी) उपर्युक्त v(बी) तथा v(सी) में उल्लिखित ईसीबी के मामले को छोड़कर [8]कार्यशील पूंजी प्रयोजन	

[6] दिनांक 8 दिसंबर 2021 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.19 द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया है। प्रतिस्थापन से पूर्व इसे "बेंचमार्क दर के ऊपर अधिकतम 450 आधार अंक स्प्रेड" पढ़ा जाता था।

[7] दिनांक 01 अगस्त 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.11 द्वारा इसे जोड़ा गया है।

[8] दिनांक 30 जुलाई 2019 के ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 04 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।प्रतिस्थापन से पूर्व इसे नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जाता था:

		ई) उपर्युक्त v(बी) तथा v(सी) में उल्लिखित ईसीबी के मामले को छोड़कर सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजन एफ़) उपर्युक्त v(डी) तथा v(ई) में उल्लिखित ईसीबी के मामले को छोड़कर रुपया ऋणों की चुकौती जी) उपर्युक्त v(सी), v(डी) तथा v(ई) में दिए गए अनुसार एनबीएफ़सी द्वारा जुटाई गई ईसीबी के मामले को छोड़कर उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए संस्थाओं को आगे उधार देना।	
ix	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा ईसीबी की मुद्रा का भारतीय रुपयों में परिवर्तन संबंधित पार्टियों के बीच ऐसा परिवर्तन करने के लिए किये गये करार की तारीख को जो विनिमय दर प्रचलित होगी उस दर पर अथवा यदि ईसीबी ऋण दाता सहमत हो तो करार की तारीख को प्रचलित दर से कम विनिमय दर पर किया जाएगा	रुपये में परिवर्तन के लिए करार की तारीख को जो दर प्रचलित होगी वही विनिमय दर होगी।
x	हेजिंग प्रावधान	ईसीबी को जुटाने वाली एंटीटीज़ को विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के मामले में संबंधित क्षेत्र-वार अथवा विवेकपूर्ण विनियामक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश, यदि कोई हो, का अनुपालन करना होगा। इनफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनियों के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक जोखिम प्रबन्धन नीति होगी। साथ ही ईसीबी की औसत परिपक्वता यदि 5 वर्ष से कम तो ऐसी कंपनियों को अपने ईसीबी एक्सपोजर के 70 प्रतिशत को अनिवार्यतः हेज करना होगा। साथ ही, नामित एडी श्रेणी-I बैंक इस बात का सत्यापन करेंगे कि ईसीबी की पूरी समयावधि में 70 प्रतिशत हेजिंग का	समुद्रपारीय निवेशक अपने रुपये में किए गए एक्सपोजर को भारत में एडी श्रेणी I बैंकों के पास अनुमत डेरीवेटिव उत्पादों के माध्यम से हेज करने के लिए पात्र हैं। निवेशक बॅक-टु-बॅक आधार पर घरेलू बाज़ार तक भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं/अनुषंगी कंपनियों अथवा भारत में जो कार्यरत हैं ऐसी विदेशी बैंकों के माध्यम से पहुँच सकते हैं।

ए) विदेशी इक्विटि धारक से प्राप्त ईसीबी को छोड़कर कार्यशील पूंजी प्रयोजन।
बी) विदेशी इक्विटि धारक से प्राप्त ईसीबी को छोड़कर सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजन।
सी) विदेशी इक्विटि धारक से प्राप्त ईसीबी को छोड़कर रुपया ऋणों की चुकौती।
डी) उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए संस्थाओं को आगे उधार देने के लिए।

		अनुपालन किया जाता रहा है और रिज़र्व बैंक को ईसीबी2 विवरण में उसकी स्थिति की रिपोर्ट करेंगे। हेजिंग से संबंधित निम्नलिखित परिचालनगत पहलुओं को सुनिश्चित करना होगा: **ए. व्याप्ति**: ईसीबी उधारकर्ता को मूल राशि और साथ ही, कूपन को वित्तीय हेजिंग के जरिये सुरक्षित बनाना होगा। ईसीबी के कारण निर्माण हुए सभी एक्सपोजर के संबंध में वित्तीय हेजिंग ऐसे प्रत्येक एक्सपोजर के समय [अर्थात, उधारकर्ता की बहियों में जिस दिन देयता निर्माण हुई] से प्रारंभ किये जाने चाहिए। **बी. अवधि और रोल ओवर**: वित्तीय हेजिंग की अवधि कम-से-कम एक वर्ष की होनी चाहिए और उसे आवधिक रूप से बढाया भी जाना चाहिए [रोल ओवर]। ऐसा करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ईसीबी की वजह से जो एक्सपोजर पैदा हुआ है उसके लिए ईसीबी की प्रचलन अवधि के दौरान किसी भी समय हेजिंग नहीं किए जाने की स्थिति निर्माण नहीं होती है। **सी. स्वाभाविक हेज:** वित्तीय हेज के बदले में स्वाभाविक हेज पर केवल अन्य सभी अनुमानित बाह्य प्रवाहों को घटाकर अनुमानित नकदी परियोजना प्रवाहों /मिलान की गयी मुद्रा में हुई आय को ऑफसेट करने की सीमा तक ,विचार किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए यदि इस प्रकार के ऑफ सेटिंग के एक्सपोजर की परिपक्वता	

		अवधि/ नकदी प्रवाह उसी लेखा वर्ष के भीतर हो तो उस ईसीबी को स्वाभाविक रूप से हेज किया हुआ माना जाएगा। अन्य किसी भी व्यवस्था/ ढाँचे को, जहां आय को विदेशी मुद्रा के साथ जोड़ा गया है, उन्हें स्वाभाविक हेज नहीं माना जाएगा।	
xi	उधार की मुद्रा में परिवर्तन	ईसीबी की मुद्रा का किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तित होने वाली विदेशी मुद्रा से किसी अन्य मुक्त रूप से परिवर्तित होने वाली विदेशी मुद्रा में अथवा भारतीय रुपयों में परिवर्तन मुक्त रूप से अनुमत है।	भारतीय रुपए से मुक्त रूप से परिवर्तित होने वाली किसी भी विदेशी मुद्रा में मुद्रा का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।

टिप्पणी : पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा भारत में अपरिवर्तनीय डिबैंचरों में किए गए निवेशों के संबंध में ईसीबी ढांचा लागू नहीं होगा। [9]भारतीय बैंकों तथा उनकी भारत के बाहर स्थित शाखाओं/अनुषंगी कंपनियों द्वारा ईसीबी ढांचे के अंतर्गत उधार लेना अथवा उधार देना रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अधीन होगा। साथ ही ईसीबी को जुटाने वाली अन्य कंपनियों को संबंधित क्षेत्रीय अथवा विवेकपूर्ण विनियामक द्वरा जारी किए गए दिशानिर्देश, यदि कोई हो का पालन करना होगा।

2.2. सीमा तथा लीवरेज : उपर्युक्त ढांचे के अंतर्गत सभी पात्र उधारकर्ता स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रतिवर्ष 750 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समकक्ष राशि तक की ईसीबी जूटा सकते हैं। साथ ही स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटि धारक से जुटाए गए विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित ईसीबी देयता की तुलना में इक्विटि अनुपात को 7:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि सभी ईसीबी जिसमें प्रस्तावित ईसीबी भी शामिल है, की बकाया राशि यदि 5 मिलियन अमरीकी डॉलर तक अथवा उसके समतुल्य है तो यह अनुपात लागू नहीं होगा। उधारकर्ता संस्थाओं पर ऋण इक्विटी अनुपात के संबंध में सेक्टरल अथवा विवेकपूर्ण विनियामक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश, यदि कोई हों, लागू होंगे।

[10]स्वचालित मार्ग के तहत 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि की सीमा को बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि किया गया है। यह रियायत 31 दिसंबर 2022 तक जुटाई जाने वाली ईसीबी के लिए लागू होगी।

3. भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा गारंटी आदि जारी करना: भारतीय बैंकों ,अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ईसीबी से संबंधित किसी भी प्रकार की गारंटी जारी करने की अनुमति नहीं है । इसके अलावा वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं (अर्थात भारतीय बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) किसी भी प्रकार से एफ़सीसीबी/ एफ़सीईबी में निवेश नहीं करेंगी।

4. ईसीबी की राशि को पार्क करना: ईसीबी की राशि को नीचे दिये गये तरीके से विदेश में तथा साथ ही, घरेलू स्तर पर पार्क किया जा सकता है :

---

[9] इसे दिनांक 16 जनवरी 2019 के ए.पी. (डीआईआर) सीरीज़ परिपत्र सं.17 के द्वारा जोड़ा गया है।
[10] दिनांक 01 अगस्त 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.11 द्वारा इसे जोड़ा गया है।

4.1 ईसीबी की राशि को विदेशों में पार्क करना : केवल विदेशी मुद्रा में व्यय करने के लिए जो ईसीबी निधियां हैं उनका उपयोग किये जाने तक उन्हें विदेशों में रखा जा सकता है। उपयोग होने तक इन निधियों का नीचे उल्लेख की गयी तरल परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सकता है ए :) जमाराशियां अथवा जमा प्रमाण पत्र अथवा बैंकों द्वारा प्रस्तावित अन्य उत्पादों जिन्हें स्टैण्डर्ड और पुअर फिच आईबी /सीए द्वारा दी गई रेटिंग AA (-) से अथवा मूडीज द्वारा दी गई रेटिंग Aa3 से कम नहीं है; ख) एक वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले खजाना बिल और अन्य मौद्रिक लिखत जिनका ऊपर उल्लेख किये गये अनुसार न्यूनतम रेटिंग है और सी) भारत के बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं में /अनुषंगी कंपनियों में जमाराशियां।

4.2. ईसीबी की राशि को घरेलू स्तर पर पार्क करना: रुपया व्यय के लिए प्राप्त ईसीबी राशि को भारत में एडी श्रेणी-I बैंक में उनके रुपया खातों में जमा करने के लिए तत्काल प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए । ईसीबी उधारकर्ताओं को अपनी ईसीबी की राशियाँ भारत में एडी श्रेणी-I बैंकों के पास संचयी रूप से अधिकतम 12 महीनों के लिए मीयादी जमा राशि में पार्क करने की भी अनुमति है । ऐसी मियादी जमाराशियां भार रहित स्थिति में रखी जानी चाहिए ।

[11]कोविड-19 महामारी के प्रकोप से परेशान ईसीबी उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, एकबारगी उपाय के तौर पर उपर्युक्त प्रावधान में ढील देने का निर्णय लिया गया है जो 07 अप्रैल 2021 से प्रभावी है। तदनुसार, 01 मार्च 2020 को या उससे पहले आहरित की गयी ईसीबी प्राप्तियाँ जो अप्रयुक्त हैं, उन्हें आगे से भारत के ए. डी. श्रेणी-I बैंकों में मीयादी जमा के रूप में 01 मार्च 2022 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए नियोजित किया जा सकता है।

5. ईसीबी जुटाने की प्रक्रिया: इस ढांचे के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करने पर सभी ईसीबी स्वचालित मार्ग के अंतर्गत जुटाए जा सकते हैं । अनुमोदन मार्ग के मामलों में उधारकर्ता अपने एडी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से जांच के लिए भा रि.बैंक के पास.ईसीबी के लिए निर्धारित फ़ारमैट (फॉर्म ईसीबी) में आवेदन करें। ऐसे मामलों पर समग्र दिशानिर्देश ,समष्टि आर्थिक परिस्थिति, और विशिष्ट प्रस्तावों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। रिजर्व बैंक में एक निश्चित सीमा रेखा(समयसमय पर पुनर्निर्धारित-) से अधिक ऋण के लिए प्राप्त हुए ईसीबी के प्रस्ताव रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे। इस अधिकार प्राप्त समिति में रिज़र्व बैंक के बाहर के सदस्यों सहित रिज़र्व बैंक के आतंरिक सदस्य भी शामिल होंगे तथा उक्त समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इन मामलों पर अंतिम निर्णय लेगा। स्वचालित मार्ग के माध्यम से ईसीबी जुटाने की इच्छुक संस्थाओं को विधिवत भरे हुए फार्म ईसीबी के साथ अपने प्रस्ताव लेकर एडी श्रेणी-I बैंक से संपर्क करना चाहिए ।

6. रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं: ईसीबी ढाँचे के अंतर्गत लिये गये उधार ढांचे के अंतर्गत अपेक्षित कोई अन्य विशिष्ट रिपोर्टिंग आवश्यकता के अलावा रिपोर्टिंग संबंधी निम्नलिखित अपेक्षाओं के अधीन होंगे:

6.1. ऋण रजिस्ट्रेशन संख्या (एल आर एन): किसी ईसीबी के संबंध में कोई ड्रा-डाउन है तो वह रिज़र्व बैंक से एलआरएन मिलने के बाद ही किया जाना चाहिए। एल आर एन प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं को विधिवत रूप से प्रमाणित फार्म ईसीबी, जिसमें ईसीबी की शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, नामित एडी श्रेणी-I बैंक को दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद वह एडी श्रेणी-I बैंक उसकी एक प्रति निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, बांद्रा–कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई-400 051 (संपर्क के लिए टेलीफ़ोन नंबर 022-26572513 तथा 022-26573612), को प्रस्तुत करेगा। ईसीबी जुटाने के लिए ऋण करार की प्रतिलिपियाँ रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

[11] दिनांक 07 अप्रैल 2021 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 01 के माध्यम से शामिल।

6.2. ईसीबी की शर्तों में परिवर्तन: उधारदाता तथा उधारकर्ता के बीच आपसी समझौते से कम घटाया गया पुनर्भुगतान सहित ईसीबी के मानदंडों में अनुमत परिवर्तनों की संशोधित फार्म ईसीबी में यथाशीघ्र लेकिन परिवर्तन किये जाने के अधिकतम सात दिनों के भीतर डीएसआईएम को रिपोर्ट की जानी चाहिए। संशोधित फार्म ईसीबी प्रस्तुत करते समय पत्र में उन परिवर्तनों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ।

6.3. वास्तविक लेनदेनों की रिपोर्ट करना : उधारकर्ताओं को वास्तविक ईसीबी लेनदेनों की रिपोर्ट मासिक आधार पर ईसीबी विवरणी 2 के माध्यम से एडी श्रेणी-। बैंक को इस प्रकार प्रेषित करनी होगी कि उक्त विवरणी संबंधित महीने के समाप्त होने के बाद सात कामकाजी दिनों के भीतर डीएसआईएम के पास पहुंचेगी। ईसीबी के मानदंडों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी भी रिपोर्ट ईसीबी विवरणी 2 में की जानी चाहिए

6.4. रिपोर्टिंग में किए गए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ़) :

6.4.1 कोई भी उधारकर्ता जिसने अन्यथा ईसीबी के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, वह एलआरएन प्राप्त करने से पहले ईसीबी से प्राप्त राशि के ड्रॉ डाउन की रिपोर्टिंग में हुए विलंब अथवा फॉर्म ईसीबी/ ईसीबी 2 विवरणी की प्रस्तुति में विलंब को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश के भाग-XIII के अनुसार विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क का भुगतान करके नियमित कर सकता है।[12]

[13]इसे हटाया गया।

6.4.2. [14]इसे हटाया गया।

6.5. लापता एंटीटीज़ के लिए मानक परिचालन क्रियाविधि (एसओपी): एडी श्रेणी–। बैंकों को ऐसी लापता एंटीटीज़ के लिए जिन्होंने ईसीबी ढांचे के अंतर्गत निर्धारित विवरण (विवरणियों) को पिछली आठ तिमाहियों अथवा उससे अधिक अवधि के लिए भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत नहीं करके ईसीबी के रिपोर्टिंग प्रावधानों का उल्लंघन किया है, निम्नलिखित एसओपी का अनुपालन करना है:

i. **परिभाषा:** ईसीबी को जुटाने वाले किसी भी उधारकर्ता को "लापता एंटीटी" तब माना जाएगा जब एंटीटी के एंटीटी/ लेखा परीक्षक/ निदेशक/ प्रवर्तक ऐसी अवधि के लिए जो दो तिमाहियों से कम नहीं है, पहुँच से बाहर हैं/ उत्तर नहीं दे रहे हैं/ ईमेल/ पत्र/ फोन पर नकारात्मक जवाब देते हैं और इस प्रकार के 6 अथवा अधिक प्रलेखित पत्र/ अनुस्मरण पत्र भेजे गए हैं और वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हों:

(ए) एडी बैंक के पास उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार पंजीकृत कार्यालय पते पर एंटीटी प्रचलन में नहीं है अथवा एडी बैंक के अधिकारियों अथवा एडी बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत की गई अन्य एजन्सियों के दौरे के समय एंटीटी प्रचलन में नहीं पाई गई हो ;

---

[12] ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 16, दिनांक 30 सितंबर 2022 के माध्यम से जोड़ा गया।

[13] ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 16, दिनांक 30 सितंबर 2022 के माध्यम से हटाया गया। हटाने से पहले इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता था:-

क्र. सं.	विवरणी/ फॉर्म का प्रकार	विलंब की अवधि	यथा लागू एलएसएफ़
1	फॉर्म ईसीबी 2	प्रस्तुति की नियत तारीख से 30 कलेंडर दिन तक	आईएनआर 5,000
2.	फॉर्म ईसीबी 2/ फॉर्म ईसीबी	प्रस्तुति की नियत तारीख/ ड्रॉ डाउन की तारीख से तीन वर्ष तक	प्रति वर्ष आईएनआर 50,000
3.	फॉर्म ईसीबी 2/ फॉर्म ईसीबी	प्रस्तुति की नियत तारीख/ ड्रॉ डाउन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए	प्रति वर्ष आईएनआर 100,000

[14] ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 16, दिनांक 30 सितंबर 2022 के माध्यम से हटाया गया। हटाने से पहले इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता था:-
उधारकर्ता अपने एडी बैंक के माध्यम से "भारतीय रिज़र्व बैंक" के पक्ष में मांग ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से एलएसएफ़ का भुगतान करेगा। इस प्रकार के भुगतान के साथ अपेक्षित विवरण(विवरणियाँ) होने चाहिए। उल्लंघनों की रिपोर्टिंग करने वाले फॉर्म ईसीबी तथा फॉर्म ईसीबी 2 पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। एलएसएफ़ का भुगतान नहीं करने को रिपोर्टिंग के प्रावधान का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा करना फेमा 1999 अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों/ नियमों में दिए गए अनुसार कंपाउंडिंग अथवा न्यायनिर्णयन के अधीन होगा।

(बी) एंटीटीज़ ने पिछले दो वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया हो।

ii. **कार्रवाई**: 'लापता एंटीटीज़' के 'संबन्ध में निम्नलिखित कार्रवाई की जाए:

(ए) आवश्यकता हो तो संशोधित फॉर्म ईसीबी तथा कंपनी से प्रमाणपत्र के बिना प्राप्त अंतिम फॉर्म ईसीबी2 विवरणी को उस पर मोटे अक्षरों में "लापता एंटीटी" लिखकर फ़ाइल करें। बकाया राशि को देश की बाह्य ऋण देयता में से बट्टे खाते डाल दिया ऐसा समझा जाएगा लेकिन उसे उधारदाता द्वारा न्यायिक/ न्यायिकेतर माध्यमों द्वारा वसूली के लिए अपनी बहियों में रखा जाएगा ।

(बी) एडी बैंक द्वारा उक्त एंटीटी से ईसीबी के लिए कोई भी नया आवेदन की जांच/ पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(सी) जब किसी एंटीटी को "लापता एंटीटी" के रूप में नामित किया जाता है तब प्रवर्तन निदेशालय को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

(डी) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत किसी प्रकार के आवक विप्रेषण अथवा ऋण चुकौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. एडी श्रेणी-I बैंकों को ईसीबी से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्यायोजित अधिकार : नामित एडी श्रेणी-I बैंक एफसीईबी / एफसीसीबी को छोड़ कर उधारकर्ताओं से ईसीबी के सन्दर्भ में परिवर्तन करने के लिए किये गये अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें इस बात को विधिवत सुनिश्चित करना होगा कि परिवर्तित शर्तें**,** जिसमें उधारकर्ता/ उधारदाता के नाम में परिवर्तन**,** ईसीबी का अंतरण तथा कोई अन्य मानदंड शामिल हैं**,** विद्यमान ईसीबी मानदंडों का अनुपालन करती हैं तथा उधारदाता (उधारदाताओं) की सहमति से की गई हैं। साथ ही **,** स्वचालित मार्ग के अंतर्गत निम्नलिखित परिवर्तन किए जा सकते हैं:

7.1. एडी श्रेणी-I बैंक में परिवर्तन : एडी श्रेणी-I बैंक को भी बदला जा सकता है बशर्तें, मौजूदा एडी श्रेणी-I बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है।

7.2. एलआरएन को रद्द करना: नामित एडी श्रेणी-I बैंक करार की गयी ईसीबी का एलआरएन रद्द करने के लिए डीएसआईएम से सीधे ही संपर्क कर सकते हैं बशर्ते वे यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि उस एलआरएन के मामले में कोई ड्रा डाउन नहीं है और आबंटित एलआरएन के संबंध में उस तारीख तक मासिक ईसीबी2-विवरणी डीएसआईएम को प्रस्तुत की जा चुकी है ।

7.3. मौजूदा ईसीबी को पुनर्वित्त प्रदान करना : नामित एडी श्रेणी-I बैंकों को नये ईसीबी जुटाते हुए मौजूदा ईसीबी को पुनर्वित्त प्रदान करने की अनुमति है बशर्तें, मूल उधार की बकाया परिपक्वता अवधि (बहू उधार के मामले में भारित बकाया परिपक्वता) घटायी न जाए और नयी ईसीबी की समग्र लागत मौजूदा ईसीबी की समग्र लागत (बहू उधारों के मामले में भारित औसत लागत) से कम हो। साथ ही, पिछले ईसीबी ढाँचे के अंतर्गत जुटायी गयी ईसीबी का पुनर्वित्तपोषण करने की भी अनुमति इस बात को अतिरिक्त रूप से सुनिश्चित किये जाने की शर्त पर दी जा सकती है कि उधारकर्ता मौजूदा ढाँचे के अंतर्गत ईसीबी जुटाने के लिए पात्र है। मौजूदा ईसीबी का आंशिक पुनर्वित्तपोषण करने के लिए नयी ईसीबी जुटाने की भी अनुमति उन्हीं शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। भारतीय बैंकों को केवल उच्च रूप से रेट किए गए कोर्पोरेट्स (AAA) तथा सरकारी क्षेत्र के महारत्न/ नवरत्न उपक्रम की मौजूदा ईसीबी का पुनर्वित्तपोषण करने में सहभागी होने की अनुमति है।

7.4. ईसीबी का इक्विटी में परिवर्तन: परिपक्व हो चुकी लेकिन अदा न की गयी ईसीबी सहित सभी ईसीबी का इक्विटी में परिवर्तन करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी गयी है:

i. उधार लेनेवाली कंपनी की गतिविधियाँ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए [एफडीआई] स्वचालित मार्ग के अंतर्गत कवर की गई हैं अथवा मौजूदा विदेशी निवेश नीति के अनुसरण में विदेशी इक्विटी में सहभागिता के लिए जहां लागू हो वहां सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया गया है;

ii. ऐसा रूपांतरण जो ऋण दाता की सहमति से तथा बिना किसी अतिरिक्त लागत के किया गया है और उससे मौजूदा विदेशी निवेश नीति के अनुसार विदेशी इक्विटी धारिता की पात्रता तथा यथालागू सेक्टरल कैप का उल्लंघन नहीं होता है;

iii. शेयरों की कीमत निर्धारण पर लागू दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है;

iv. ईसीबी के इक्विटि में आंशिक अथवा पूर्ण परिवर्तन के मामले में रिज़र्व बैंक को निम्नानुसार रिपोर्टिंग की जाएगी:

ए. आंशिक परिवर्तन के लिए एफ़डीआई प्रवाहों की रिपोर्टिंग के लिए परिवर्तित भाग को निर्धारित फॉर्म एफ़सी-जीपीआर में रिपोर्ट किया जाए, और फॉर्म ईसीबी 2 में डीएसआईएम को की जाने वाली मासिक रिपोर्टिंग पर्याप्त टिप्पणियों अर्थात, "आंशिक रूप से इक्विटि में परिवर्तित इक्विटि" सहित होगी।

बी) पूर्ण परिवर्तन के मामले में पूर्ण भाग को फॉर्म एफ़सी-जीपीआर में रिपोर्ट किया जाए, और फॉर्म ईसीबी 2 में डीएसआईएम को की जाने वाली मासिक रिपोर्टिंग पर्याप्त टिप्पणियों अर्थात, "पूर्ण रूप से इक्विटि में परिवर्तित इक्विटि" सहित होगी। बाद में फॉर्म ईसीबी 2 फ़ाइल करने की आवश्यकता नहीं है।

सी) ईसीबी का इक्विटि में चरणबद्ध रूप से परिवर्तन करने के लिए फॉर्म एफ़सी-जीपीआर तथा फॉर्म ईसीबी 2 विवरणी के माध्यम से रिपोर्टिंग भी चरणबद्ध रूप से होगी।

v. यदि संबंधित उधारकर्ता ने भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ उप कार्यालयों सहित भारतीय बैंकिंग प्रणाली से अन्य उधार सुविधाओं का लाभ उठाया है, तो ऐसे मामले में विनियमन विभाग द्वारा जारी किए गए ऋण की पुनर्रचना से संबंधित दिशानिर्देशों सहित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए; और

vi. एक ही उधारकर्ता के लिए अन्य ऋण दाताओं, यदि हो, की सहमति होनी चाहिए अथवा कम-से-कम उस उधारकर्ता द्वारा किये गये परिवर्तनों के बारे में सभी जानकारी को उसके ऋण दाताओं के बीच साझा किया जाना चाहिए।

vii. ईसीबी की देयताओं का इक्विटी में परिवर्तन करने के प्रयोजन से संबंधित पार्टियों के बीच ऐसा परिवर्तन करने के लिए किए गए करार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर अथवा ईसीबी ऋण दाता के साथ सहमति करते हुए उससे कम दर लागू की जा सकती है । यह नोट किया जाए कि जारी किये जाने वाले शेयरों के उचित मूल्य का निर्धारण, परिवर्तन की तारीख को ध्यान में रख कर ही किया जाएगा।

7.5. ईसीबी जुटाने के लिए जमानत : एडी श्रेणी- । बैंकों को अचल परिसंपत्तियां, चल संपत्तियां, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार पैदा / रद्द करने के लिए तथा उधारकर्ता द्वारा जुटायी जानेवाली / जुटायी गयी ईसीबी को सुरक्षित बनाने के लिए विदेशी ऋण दाता / प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में कार्पोरेट और / अथवा वैयक्तिक गारंटियां जारी करने के लिए अनुमति दी गयी है, बशर्ते वे अपने आपको इस बात से संतुष्ट कर लेते हैं कि:
i. संबंधित ईसीबी जारी किये गये मौजूदा ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुरूप है,

ii. संबंधित ऋण करार में सुरक्षा संबंधी एक ऐसा खंड मौजूद है, जिसमें ईसीबी उधारकर्ता को अचल परिसंपत्तियों पर / चल परिसंपत्तियों पर/ वित्तीय प्रतिभूतियों पर/ कार्पोरेट और / अथवा वैयक्तिक गारंटियों के निर्गम पर विदेशी ऋण दाता / प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में प्रभार पैदा /रद्द करने की आवश्यकता हो और ,

iii. प्रभार सृजित किए जाने के मामले में भारत में मौजूद ऋण दाताओं से यथा लागू अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है ।

एक बार उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किया गया तो एडी श्रेणी-I बैंक अचल परिसंपत्तियों, चल परिसंपत्तियों , वित्तीय प्रतिभूतियों तथा कार्पोरेट और अथवा / वैयक्तिक गारंटियों के निर्गम पर ईसीबी की प्रचालन अवधि के लिए अंडरलाइंग ईसीबी के साथ को टर्मिनेट होनेवाली प्रतिभूति के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभार पैदा कर सकते हैं :

i. **अचल परिसंपत्तियों पर प्रभार पैदा करना**: ऐसी व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी:

ए) ऐसी सुरक्षा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन और अंतरण) विनियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों के अधीन होगी।

बी) इस अनुमति का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि विदेशी ऋण दाता / सेक्युरिटी ट्रस्टी को भारत में अचल परिसंपत्तियां (संपत्ति) खरीदने के लिए अनुमति दी गयी है ।

सी) उक्त प्रभार के प्रवर्तन / लागू किए जाने के मामले में वह अचल परिसंपत्ति / संपदा केवल भारत के निवासी किसी व्यक्ति को ही बेचनी होगी और उसकी बिक्री से प्राप्त राशि बकाया ईसीबी को समाप्त करने के लिए प्रत्यावर्तित करनी होगी ।

ii. **चल परिसंपत्तियों पर प्रभार पैदा करना**: उक्त प्रभार के प्रवर्तन / लागू किए जाने के मामले में ऋण दाता का दावा, फिर यदि वह ऋणदाता चल परिसंपत्तियां ग्रहित करे या न करे, ईसीबी के समक्ष बकाया दावे तक ही सीमित होगा। भारग्रस्त चल परिसंपत्तियों को भी घरेलू ऋण दाता/ दाताओं, यदि कोई हो, से `अनापत्ति प्रमाणपत्र' मिलने की शर्त पर देश के बाहर ले जाया जा सकता है।

iii. **वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार पैदा करना**: ऐसी व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी:

ए. उधारकर्ता कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा धारित तथा साथ ही, उधारकर्ता की घरेलू एसोसिएट कंपनियों में धारित शेयरों को गिरवी रखने की अनुमति दी गयी है। ईसीबी उधारकर्ता / प्रवर्तक के नाम में स्थित अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों, जैसे बॉण्ड और डिबेंचर्स, सरकारी प्रतिभूतियों, सरकारी बचत प्रमाण पत्रों, प्रतिभूतियों की जमा रसीदें और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों अथवा अन्य किसी म्युच्युअल फंड के यूनिट को भी गिरवी रखा जा सकता है ।

बी. इसके अतिरिक्त, सभी वर्तमान और भावी ऋण परिसंपत्तियों पर और नकदी तथा नकदी समतुल्य परिसंपत्तियों सहित सभी चालू परिसंपत्तियों पर सुरक्षा ब्याज, जिसमें उधारकर्ता के भारत में एडी बैंकों के पास उधारकर्ता / प्रवर्तकों के नाम स्थित रुपया खाता भी शामिल हैं, का ईसीबी के लिए जमानत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उधारकर्ता / प्रवर्तक के रुपया खाते एस्क्रो व्यवस्था अथवा ऋण चुकौती (**debt service)** प्रारक्षित खाते के रूप में भी हो सकते है।

सी. गिरवी राखी गयी परिसंपत्तियों को इन्वोक किये जाने के मामले में वित्तीय प्रतिभूतियों का अंतरण विदेशी मुद्रा प्रबंधन [भारत के बाहर स्थित निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण और निर्गम] विनियमावली, 2000 के साथ पठित सेक्टरल कैप और कीमतों से संबंधित यथा लागू प्रावधानों सहित मौजूदा एफडीआई / एफआईआई नीति के अनुरूप होगा ।

iv. **कार्पोरेट अथवा वैयक्तिक गारंटी जारी करना**: यह व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

ए) ऐसी गारंटी जारी करने वाली कंपनी के लिए कार्पोरेट गारंटी जारी करने के लिए निदेशक बोर्ड के संकल्प की एक प्रतिलिपि प्राप्त की जानी चाहिए जिसमें कंपनी की ओर से अथवा वैयक्तिक क्षमता में ऐसी गारंटियां निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम दर्शाया गया हो ।

बी) वैयक्तिक गारंटियां जारी करने के लिए व्यक्तियों से विशेष अनुरोध प्राप्त किये जाने चाहिए ,जिन में ईसीबी के सभी ब्योरे दर्शाये गये हो ।

सी) ऐसी जमानत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गारंटी) विनियमावली, 2026[15] के प्रावधानों के अधीन होगी।

डी) यदि विदेशी पार्टी/ पार्टियां मौजूदा ईसीबी दिशानिर्देशों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त ऋण दाता का मानदंड पूरा करती हैं तो ईसीबी के ऋण को बढ़ा सकती हैं, उनके लिए गारंटियां जारी कर सकती हैं / उनका बीमा कर सकती हैं।

7.6. अतिरिक्त अपेक्षाएँ : प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत परिवर्तनों की अनुमति देते समय एडी श्रेणी-I बैंक इस बात को सुनिश्चित करें कि:

i. अनुमत परिवर्तन यथालागू सीमाओं / दिशानिर्देशों के अनुरूप हो और वह ईसीबी यथालागू दिशा निर्देशों के अनुरूप ही बनी रहे । इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि एसीबी उधारकर्ता ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली की विदेशी शाखाओं / उप कार्यालयों सहित भारतीय बैंकिंग प्रणाली से भी उधार की सुविधाएं लीं हों तो उसके ईसीबी के लिए दिया जाने वाला कोई भी समय विस्तार [फिर वह परिपक्व हुई हो अथवा नहीं] रिज़र्व बैंक के विनियमन प्रभाग द्वारा जारी किये गये पुनर्रचना पर दिशानिर्देशों सहित यथालागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगा ।

ii. प्राधिकृत व्यापारियों को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उनके द्वारा ईसीबी की शर्तों में किये गये परिवर्तन और अथवा / रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित परिवर्तनों को उपर्युक्त पैराग्राफ 6.2 पर दिए गए अनुसार डीएसआईएम को रिपोर्ट किए जाने चाहिए। साथ ही, ये परिवर्तन ईसीबी 2 विवरणी में भी यथोचित रूप से प्रतिबिंबित होने चाहिए ।

8. ईसीबी ढांचे के अंतर्गत विशेष छूट:

8.1 **तेल विपणन कंपनियों के लिए ईसीबी सुविधा**: उपर्युक्त पैराग्राफ 2.1(viii), 2.1(x) तथा 2.2 में निहित प्रावधानों के होते हुए भी, सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी), कार्यशील पूंजी हेतु स्वचालित मार्ग के अंतर्गत सभी मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से 3 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के लिए तथा अनिवार्य हेजिंग और व्यक्तिगत सीमा संबंधी अपेक्षाओं के बिना ईसीबी जुटा सकती हैं। इस प्रकार के ईसीबी के लिए 10 बिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उस की समतुल्य राशि की समग्र सीमा होगी। तथापि ऐसे ईसीबी के लिए ओएमसी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा को बाज़ार दर पर अंकित करने की क्रियाविधि तथा विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंध नीति होनी चाहिए। ईसीबी ढांचे के अंतर्गत सभी अन्य प्रावधान ऐसे ईसीबी पर लागू होंगे।

8.2. **स्टार्ट अप के लिए ईसीबी सुविधा**: स्टार्ट अप कंपनियों को स्वचालित मार्ग के माध्यम से निम्नलिखित ढाँचे के अनुसार ईसीबी जुटाने के लिए अनुमति देने के लिए ए डी श्रेणी- I बैंकों को प्राधिकृत किया गया है:

i. **पात्रता:** जिस संस्था को ईसीबी जुटाने की तारीख को स्टार्ट अप के रूप में केंद्र सरकार ने मान्यता दी है।

ii. **परिपक्वता अवधि:** न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि 3 वर्ष होगी ।

iii. **मान्यता प्राप्त ऋण दाता:** ऋण दाता / निवेशक उस देश का निवासी होगा जो देश वित्तीय कार्रवाई कार्यबल [एफएटीएफ] के दिशनिर्देशों का अनुपालन करता है । तथापि भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / अनुषंगी कार्यालयों तथा समुद्रपारीय एंटीटी जिसमें विद्यमान प्रत्यक्ष समुद्रपारीय निवेश नीति के अनुसार भारतीय एंटीटी ने प्रत्यक्ष समुद्रपारीय निवेश किया है, को इस ढांचे के अंतर्गत मान्यताप्राप्त उधारदाता नहीं माना जाएगा।

iv. **स्वरूप :**ऐसे उधार ऋणों अथवा अपरिवर्तनीय ,वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अथवा अंशत: परिवर्तनीय प्रेफरंस शेयर के रूप में हो सकते हैं ।

v. **मुद्रा:** लिया गया उधार किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में अथवा भारतीय रुपयों में अथवा दोनों ही में संयुक्त रूप से मूल्यवर्गित होना चाहिए । यदि भारतीय रुपयों में ऐसा उधार लिया गया हो तो अनिवासी ऋण दाता

[15] विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 को 10 जनवरी 2026 से लागू विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2026 द्वारा अधिक्रमित किया गया।

को भारत में एडी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से स्वैप के माध्यम से/ सीधी खरीद करते हुए भारतीय रुपये जुटाने चाहिए।

vi. **राशि:** प्रति स्टार्ट अप उधार प्रति वित्तीय वर्ष भारतीय रुपयों में अथवा किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में अथवा दोनों ही में एक साथ 3 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि तक सीमित होगा ।

vii. **समग्र लागत [All-in cost]:** यह लागत उधारकर्ता और ऋण दाता के बीच पारस्परिक सहमति से तय की जाएगी।

viii. **अंतिम उपयोग:** उधारकर्ता के कारोबार से संबंधित किसी भी प्रकार के व्यय के लिए।

ix. **इक्विटी में रूपांतरण:** स्टार्ट अप में किये जानेवाले विदेशी निवेश पर लागू विनियमों के अधीन ईसीबी का इक्विटी में रूपांतरण मुक्त रूप से करने की अनुमति है।

x. **जमानत:** ऋण दाता को प्रदान की जानेवाली जमानत का चयन उधारकर्ता संस्था पर छोड़ दिया गया है । यह जमानत चल, अचल, अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में [पेटंट, बौद्धिक संपदा अधिकार सहित] या वित्तीय प्रतिभूतियों के रूप में हो सकती है और वह ऐसी प्रतिभूतियां धारण करने वाले विदेशी ऋण दाताओं / विदेशी संस्थाओं पर लागू होनेवाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश / विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अथवा अन्य मानदंडों का अनुपालन करेंगे। इसके अलावा कार्पोरेट और वैयक्तिक गारंटी जारी करने की अनुमति है। अनिवासी [अनिवासियों] द्वारा जारी की गयी गारंटियों के लिए भी केवल तभी अनुमति दी जा सकती है यदि ऐसी पार्टियां ईसीबी के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए ऋण दाता के रूप में अर्हक होती हैं। भारतीय बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गारंटी, स्टैंड बाई साख पत्र, वचन पत्र अथवा कम्फर्ट पत्र जारी करने की अनुमति नहीं है।

xi. हेजिंग: भारतीय रुपयों में मूल्यवर्गित ईसीबी के मामले में विदेशी ऋणदाता भारतीय रुपयों में अपने एक्सपोजर की भारत में एडी श्रेणी-**I** बैंक के अनुमत डेरिवेटिव् उत्पादों के माध्यम से हेजिंग कर सकेगा। वह ऋण दाता बैक टू बैक आधार पर भारत के बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं / उप कार्यालयों के माध्यम से अथवा विदेशी बैंकों की भारत में कार्यरत शाखाओं के माध्यम से घरेलू बाजार तक पहुँच सकता है।

टिप्पणी : जो स्टार्ट अप कंपनिया विदेशी मुद्रा में ईसीबी जुटा रही हैं उनके पास स्वाभाविक ,प्रतिरक्षा हो या न हो, विनिमय दर में होनेवाले परिवर्तनों के कारण उनको हमेशा मुद्रा जोखिम का खतरा बना रहता है। अत: उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाता है कि उनके पास अपनी एक यथोचित जोखिम प्रबंधन नीति हो ताकि वे ईसीबी से पैदा हो सकनेवाली किसी संभाव्य जोखिम से अपना बचाव कर सके।

xii. **परिवर्तन दर:** भारतीय रुपयों में उधार लिये जाने के मामले में विदेशी मुद्रा – भारतीय रुपया परिवर्तन करार की तारीख को प्रचलित बाज़ार दर के अनुसार किया जाएगा ।

xiii. **अन्य प्रावधान:** ईसीबी की राशियों का निवेश**,** रिपोर्टिंग की व्यवस्था**,** एडी बैंकों को प्रत्यायोजित शक्तियां**,** जिनकी जांच चल रही है ऐसी संस्थाओं द्वारा उधार लेना**,** ईसीबी का इक्विटी में रूपांतरण जैसे अन्य प्रावधान ईसीबी ढांचे में शामिल किए गए के अनुसार ही होंगे। तथापि**,** लीवरेज अनुपात और ईसीबी देयता: इक्विटी अनुपात संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे । साथ ही [**8.2(i)]** में परिभाषित स्टार्ट-अप तथा उक्त परिभाषा का अनुपालन नहीं करने वाले लेकिन एफ़डीआई प्राप्त करने के लिए पात्र अन्य स्टार्ट अप भी सामान्य ईसीबी मार्ग/ ढांचे के अंतर्गत ईसीबी जूटा सकते हैं।

9. जांच के दायरे में स्थित संस्थाओं द्वारा उधार: ऐसी सभी संस्थाएं जिनके विरुद्ध फेमा की विनियमावली के किसी भी विनियम का उल्लंघन करने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच चल रही है/ जो न्यायालयीन निर्णय के अधीन हैं / जिनके विरुद्ध अपील दायर की गयी है **,** वे उनके विरुद्ध लंबित जांच/ न्यायिक निर्णय/ अपील अनिर्णीत होने के बावजूद**,** ऐसी जांच / न्यायिक निर्णय / अपीलों में आनेवाले परिणामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना**,** यदि अन्यथा पात्र हों**,** तो लागू मानदंडों के अनुसार ईसीबी जुटा सकते हैं। उधार लेनेवाली संस्था ऐसी जांच / न्यायिक निर्णय / अपील अनिर्णीत होने के संबंध में एडी श्रेणी-**I** बैंक / रिज़र्व बैंक को**,** जैसी भी स्थिति हो**,** सूचित करेगी। तदनुसार**,** ऐसे सभी आवेदनों के मामले में जहां उधारकर्ता संस्था ने अपने विरुद्ध अनिर्णीत जांच /

न्यायिक निर्णय / अपील की रिपोर्ट की हो, वहां एडी श्रेणी-I बैंक / रिज़र्व बैंक ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करते समय उस अनुमोदन पत्र की प्रतिलिपि सभी संबंधित एजेंसियों को परांकित करते हुए उसकी जानकारी प्रदान करेगा।

10. पुनर्गठन के अधीन एंटीटीज़ द्वारा ईसीबी/ दबावग्रस्त आस्तियों के पुनर्वित्त पोषण के लिए ईसीबी सुविधा

10.1. जो एंटीटी किसी पुनर्गठन योजना कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत है , वह एंटीटी केवल तब ईसीबी जुटा सकती है यदि उसे समाधान योजना के तहत एस करने की विशिष्ट रूप से अनुमति दी गई हो।

10.2 [16] विनिर्माण तथा इनफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में पूंजीगत व्यय के लिए घरेलू रूप से लिए गए रुपया ऋणों, जिन्हें एसएमए-2 अथवा अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, की चुकौती के लिए पात्र कॉर्पोरेट उधारकर्ता को उधारदाताओं से किसी एक बारगी निपटान के अंतर्गत ईसीबी का लाभ उठा सकता है। उधारदाता बैंकों को समनुदेशन के माध्यम से ऐसे ऋण भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ समुद्रपारीय अनुषंगी कंपनियों को छोड़कर पात्र ईसीबी उधारदाताओं को बेचने की भी अनुमति है बशर्ते परिणामी बाह्य वाणिज्यिक उधार, समग्र लागत, न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि तथा ईसीबी ढांचे के अन्य संबंधित मानदंडों का अनुपालन करता हो। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं / समुद्रपारीय अनुषंगी कंपनियां उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उधार देने के लिए पात्र नहीं हैं। यथालागू न्यूनतम औसत परिपक्वता संबंधी प्रावधान का सभी परिस्थितियों में कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

10.3. ईसीबी ढाँचे के अंतर्गत पात्र उधारकर्ता जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में समाधान के लिए आवेदक के रूप में सहभागी हैं, वे लक्ष्य कंपनी के रुपये में मूल्यवर्गित सावधि ऋणों की चुकौती के लिए भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ समुद्रपारीय अनुषंगी कंपनियों को छोड़कर सभी मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से ईसीबी जुटा सकते हैं। इस प्रकार की ईसीबी पर अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विचार किया जाएगा। अनुमोदन मार्ग की विधि उपर्युक्त पैराग्राफ 5 पर दी गई है।

11. सूचना का प्रसारण: स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग, दोनों ही के अंतर्गत ईसीबी उधारकर्ता का नाम, उसकी राशि, उसका प्रयोजन और उसकी परिपक्वता अवधि के बारे में जानकारी को बेहतर पारदर्शिता प्रदान करने के लिए यह जानकारी जिस माह से संबंधित है उस माह के बाद एक महीने के भीतर मासिक आधार पर भा.रि.बैंक के वेबसाईट पर डाली जाती है।

12: दिशानिर्देशों का अनुपालन : जो उधार लिया गया है वह यथालागू दिशानिर्देशों के अनुपालन करते हुए ही लिया गया है इसे सुनिश्चित करने का प्राथमिक दायित्व संबंधित उधारकर्ता का ही है। ईसीबी के दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए फेमा के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नामित एडी श्रेणी-I बैंक को भी अपने घटकों द्वारा ईसीबी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना चाहिए।

भाग II- व्यापार ऋण ढांचा

13. प्रस्तावना: व्यापार ऋण (टीसी) का अर्थ है भारत सरकार की विद्यमान विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अनुमेय पूंजीगत/ गैर पूंजीगत माल के आयात के लिए इस ढांचे में निर्धारित की गई परिपक्वता के लिए समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता, बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य अनुमेय मान्यताप्राप्त उधारदाताओं द्वारा प्रदान किए गए ऋण। वित्त के स्रोत के आधार पर ऐसे व्यापार ऋणों में मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से आपूर्तिकर्ता ऋण तथा क्रेता की साख पर उधार शामिल हैं।

[16] इसे दिनांक 30 जुलाई 2019 के ए.पी. (डीआईआर) सीरीज़ परिपत्र सं. 04 द्वारा जोड़ा गया है।

14. व्यापार ऋण ढांचा: नीचे सारणी में दिए गए अनुसार टीसी किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा(विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित टीसी) अथवा भारतीय रुपए (भारतीय रुपए में मूल्यवर्गित टीसी) में जुटाया जा सकता है:

क्र. सं.	**मानदंड**	**विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित टीसी**	**भारतीय रुपए में मूल्यवर्गित टीसी**
i	टीसी के स्वरूप	क्रेता की साख पर उधार तथा आपूर्तिकर्ता उधार	
ii	पात्र उधारकर्ता	आयातक की भूमिका निभाने वाला भारत का निवासी व्यक्ति	
iii	स्वचालित मार्ग के अंतर्गत राशि	तेल/ गॅस परिष्करण तथा विपणन, हवाई तथा नौपरिवहन कंपनियों के लिए 150 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि प्रति आयात लेनदेन। अन्यों के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि प्रति आयात लेनदेन।	
iv	मान्यताप्राप्त उधारदाता	1. **आपूर्तिकर्ता ऋण के लिए:** माल का भारत के बाहर स्थित आपूर्तिकर्ता। 2. **क्रेता की साख पर उधार के लिए**: भारत के बाहर स्थित बैंक, वित्तीय संस्थाएं, विदेशी इक्विटि धारक तथा भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों(आईएफ़एससी) में वित्तीय संस्थाएं। **टिप्पणी:** भारतीय बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (आईएफ़एससी से परिचालन करने वाली) की उधारदाता के रूप में सहभागिता रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अधीन होगी। साथ ही, भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/अनुषंगी कंपनियों को केवल विदेशी मुद्रा टीसी के लिए मान्यताप्राप्त उधारदाता के रूप में अनुमति है।	
v	टीसी की अवधि	पूंजीगत माल के आयात के लिए टीसी की अवधि की पोतलदान की तारीख से गणना की जाएगी और वह अवधि तीन वर्ष होगी। गैर पूंजीगत माल के लिए यह अवधि एक वर्ष अथवा परिचालन चक्र, इन में से जो भी कम हो, होगी। शिपयार्ड / शिप बिल्डर्स के लिए गैर पूंजीगत माल के आयात के लिए टीसी की अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है।	
vi	प्रति वर्ष समग्र लागत सीमा	[17]बेंचमार्क दर अधिक **350 आधार अंकों** का स्प्रेड : लिबोर से जुड़े मौजूदा ट्रेड क्रेडिट, जिनके बेंचमार्क को वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) में बदल दिया गया है। बेंचमार्क दर अधिक **300 आधार अंकों** का स्प्रेड**:** नए ट्रेड क्रेडिट हेतु।	बेंचमार्क दर के ऊपर 250 आधार अंकों का स्प्रेड
vii	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा टीसी की मुद्रा का भारतीय रुपयों में मूल्यवर्गित टीसी में परिवर्तन, संबंधित पार्टियों के बीच ऐसा परिवर्तन करने के लिए किये गये करार की तारीख	रुपये में परिवर्तन के लिए करार की तारीख को जो दर प्रचलित होगी वही विनिमय दर होगी।

[17] दिनांक 8 दिसंबर 2021 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.19 द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया है। प्रतिस्थापन से पूर्व इसे "बेंचमार्क दर के ऊपर अधिकतम 250 आधार अंक स्प्रेड" पढ़ा जाता था।

		को जो विनिमय दर प्रचलित होगी उस दर पर अथवा यदि टीसी ऋण दाता सहमत हो तो करार की तारीख को प्रचलित दर से कम विनिमय दर पर किया जाएगा	
viii	हेजिंग प्रावधान	टीसी को जुटाने वाली एंटीटीज़ को विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के मामले में संबंधित क्षेत्र-वार अथवा विवेकपूर्ण विनियामक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश, यदि कोई हो, का अनुपालन करना होगा। ऐसी एंटीटीज़ के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबन्धन नीति होगी।	पारदेशीय निवेशक रुपए में अपने एक्सपोजर को भारत में एडी श्रेणी-। बैंकों के अनुमेय डेरिवेटिव उत्पादों के माध्यम से हेज करने के लिए पात्र हैं। निवेशक बॅक टु बॅक आधार पर विदेश स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं/ अनुषंगी कंपनियों अथवा भारत में अवस्थित विदेशी बैंकों की शाखाओं के माध्यम से भी घरेलू बाज़ार तक पहुँच सकते हैं।
ix	उधार की मुद्रा में परिवर्तन	टीसी की मुद्रा का किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तित होने वाली विदेशी मुद्रा से किसी अन्य मुक्त रूप से परिवर्तित होने वाली विदेशी मुद्रा में अथवा भारतीय रुपयों में परिवर्तन मुक्त रूप से अनुमत है।	भारतीय रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित होने वाली किसी भी विदेशी मुद्रा में मुद्रा परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

15 विशेष आर्थिक क्षेत्र(एसईज़ेड)/ मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र (एफ़टीडबल्यूज़ेड)/ घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में व्यापार ऋण :

15.1 एफ़टीडबल्यूज़ेड सहित एसईज़ेड में स्थित किसी इकाई अथवा विकासक द्वारा एफ़टीडबल्यूज़ेड सहित किसी एसईज़ेड के भीतर अथवा एफ़टीडबल्यूज़ेड सहित किसी भिन्न एसईज़ेड से गैर पूंजीगत तथा पूंजीगत माल की खरीद के लिए उपर्युक्त पैराग्राफ14 में दिए गए मानदंडों के अनुपालन के अधीन टीसी जूटा सकते हैं। साथ ही डीटीए में स्थित कोई एंटीटी को भी एफ़टीडबल्यूज़ेड सहित एसईज़ेड में स्थित किसी इकाई अथवा विकासक से पूंजीगत/ गैर पूंजीगत माल की खरीद के लिए टीसी जुटाने की अनुमति है।

15.2 एसईज़ेड तथा डीटीए के संबंध में उपर्युक्त के अनुसार अनुमत टीसी लेनदेन समय-समय पर संशोधित एसईज़ेड अधिनियम, 2005 के यथालागू प्रावधानों का अनुपालन करते हों। एसईज़ेड से संबंधित टीसी लेनदेन के संबंध में माल के स्वामित्व के अंतरण की तारीख को टीसी की तारीख माना जाएगा। चूंकि एसईज़ेड के भीतर के बिक्री लेनदेन के लिए कोई प्रविष्टि पत्र नहीं होगा इसलिए एनएसडीएल के माध्यम से जनरेट की गई अंतर इकाई रसीद को आयात दस्तावेज़ माना जाएगा।

16 . व्यापार ऋण के लिए जमानत: टीसी जुटाने के लिए जमानत संबंधी प्रावधान निम्नानुसार है:

16.1. एडी द्वारा आयातक की ओर से टीसी के समुद्रपारीय उधारदाता के पक्ष में बैंक गारंटियां दी जा सकती हैं लेकिन गारंटी की राशि टीसी की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी गारंटी की अवधि टीसी के लिए अधिकतम अनुमेय अवधि से अधिक नहीं हो सकती है। विदेशी बैंकों/ भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं द्वारा जारी की गई समुद्रपारीय गारंटी द्वारा भी टीसी को सुरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार की गारंटियों अर्थात भारतीय बैंकों तथा भारत के बाहर स्थित उनकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियाँ, का निर्गम,

समय-समय पर संशोधित "गारंटियों तथा सह-स्वीकृतियों " पर दिनांक 1 जुलाई 2015 के बैंकिंग विनियमन विभाग के मास्टर परिपत्र सं. डीबीआर.सं. डीआईआर.बीसी. 11/ 13.03.00/2015-16 में निहित प्रावधानों के अनुपालन के अधीन होगा।

16.2. टीसी जुटाने के प्रयोजन के लिए आयातक चल आस्तियों (वित्तीय आस्तियों सहित)/ अचल संपत्ति (एसईज़ेड में भूमि को छोड़कर)/ कॉर्पोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी की जमानत भी टीसी जुटाने के लिए दे सकते हैं। अतः एडी को यह सुनिश्चित करते हुए प्रस्तावित जमानत पर भार का सृजन करने / कॉर्पोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी को स्वीकार करने की अनुमति दी जाएगी कि

(i) ऋण करार में एक जमानत खंड है जिसके अंतर्गत आयातक को समुद्रपारीय उधारदाता/ प्रतिभूति न्यासी के पक्ष में अचल सम्पत्तियों/ चल आस्तियों/ वित्तीय प्रतिभूतियों पर भार सृजित करना / कॉर्पोरेट तथा/ अथवा व्यक्तिगत गारंटी जारी करना आवश्यक है;

(ii) जहां कहीं आवश्यक है, वहाँ भारत में मौजूदा ऋण दाताओं से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है;

(iii)इस प्रकार की व्यवस्था अंडर लाइंग टीसी के साथ समाप्त होती हों;

(iv) लागू किए जाने पर गारंटी के प्रति कुल भुगतान, टीसी के प्रति देयता से अधिक नहीं होना चाहिए;तथा

(v) भार का सृजन/ प्रवर्तन/ लागू किया जाना, समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन तथा अंतरण), विनियमावली, 2018 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम), विनियमावली, 2017 अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाए गए कोई अन्य संबंधित विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा तथा एफ़डीआई/ एफ़आईआई/ एसईज़ेड नीति/ नियम/ दिशानिर्देशों का अनुपालन भी करेगा।

टिप्पणी: इस प्रावधान के अंतर्गत उल्लिखित गारंटी के निर्गम संबंधी दिशानिर्देश, फेमा के अंतर्गत जारी संबंधित विनियमों की सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

17. रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ: टीसी लेनदेन निम्नलिखित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अधीन हैं :

17.1. मासिक रिपोर्टिंग: एडी श्रेणी I बैंकों को माह के दौरान अपनी सभी शाखाओं द्वारा अनुमोदित टीसी के ब्योरे जैसे टीसी का आहरण, उपयोग तथा चुकौती, फॉर्म टीसी में एक समेकित विवरण में इस प्रकार प्रेषित करना होगा कि वह आगामी महीने के 10वे दिन के भीतर निदेशक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा वित्त प्रभाग, आर्थिक नीति तथा अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई -400001 (तथा ई-मेल के माध्यम से MS-Excel फाइल के माध्यम से) को पहुंचेगा। प्रत्येक टीसी को एडी बैंक द्वारा एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। फॉर्म टीसी का फ़ारमैट समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 01 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्टिंग के भाग-V के अनुबंध-IV में उपलब्ध है।

टिप्पणी: गैर पूंजीगत/ पूंजीगत वस्तुओं के लिए पोत लदान की तारीख से क्रमशः 180 दिन तथा एक वर्ष/ तीन वर्ष तक के आपूर्तिकर्ता ऋण को भी एडी बैंकों द्वारा रिपोर्ट किया जाना चाहिए। साथ ही समय-समय पर दिनांक 1 जनवरी 2016 के माल तथा सेवाओं के आयात पर मास्टर निदेश के पैराग्राफ बी.5 तथा सी.2 के अनुसार विलंबित आयात पर देय राशियों के निपटान के लिए एडी बैंकों/ रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई अनुमतियों को एडी बैंकों द्वारा उपर्युक्त क्रियाविधि के अनुसार रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

17.2. [हटाया गया][18]

---

[18] दिनांक 12 जनवरी 2026 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 19 द्वारा हटाया गया। हटाने के पहले यह निम्नानुसार पढ़ा जाता था *"**17.2 तिमाही रिपोर्टिंग:** एडी श्रेणी I बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा टीसी के लिए जारी की गई गारंटियों से संबंधित आंकड़ों को एक समेकित विवरण में तिमाही अंतरालों पर CIMS प्लैटफ़ार्म (https://sankalan.rbi.org.in) पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा हो तो एडी बैंक रिज़र्व बैंक को उक्त ई-मेल आईडी पर लिख सकते हैं अथवा टेलीफोन सं. 022-22601000 (विस्तार- 2715) पर संपर्क कर सकते हैं। इस विवरण का प्रारूप दिनांक 1 जनवरी 2016 के 'मास्टर निदेश- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के तहत रिपोर्टिंग, समय-समय पर यथासंशोधित, के भाग V के अनुबंध V में भी उपलब्ध है।"*

18. प्राधिकृत व्यापारियों की भूमिका: जब कि टीसी नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्राथमिक दायित्व आयातक का है, फिर भी एडी से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने घटकों द्वारा टीसी नीति के यथालागू मानदंडों/ विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें। चूंकि रिज़र्व बैंक ने टीसी व्यवस्थाओं/ ऋण करारों को प्रलेखित करने का कोई फ़ारमैट अथवा तरीका निर्धारित नहीं किया है, इसलिए प्राधिकृत व्यापारी अंडर लाइंग टीसी व्यवस्था से अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कोई भी दस्तावेज़ पर विचार कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एफ़टीडबल्यूज़ेड सहित एसईज़ेड में स्थित किसी इकाई अथवा विकासक द्वारा एफ़टीडबल्यूज़ेड सहित किसी एसईज़ेड के भीतर अथवा एफ़टीडबल्यूज़ेड सहित किसी भिन्न एसईज़ेड से गैर पूंजीगत तथा पूंजीगत माल की खरीद संबंधी लेनदेन के कारण कोई दोहरा वित्तपोषण नहीं किया गया है। प्राधिकृत व्यापारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि गैर पूंजीगत माल के आयात के लिए टीसी की यथालागू अवधि, परिचालन चक्र अथवा एक वर्ष (शिपयार्ड/ शिप बिल्डर के लिए तीन वर्ष)से कम है।

भाग-III संरचित दायित्व

19. [हटाया गया].[19]

20. [हटाया गया][20]

---

[19] दिनांक 12 जनवरी 2026 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 19 द्वारा हटाया गया। हटाने के पहले यह निम्नानुसार पढ़ा जाता था *"**19. घरेलू निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए अनिवासी गारंटी:** दो निवासियों के बीच भारतीय रुपयों में ऋण लेने और देने के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होता । ऐसे मामलों में जहां रुपया सुविधाएं, जो या तो निधि आधारित हैं, या फिर गैर निधि आधारित, [जैसे साख पत्र/गारंटी/ वचन पत्र/ चुकौती आश्वासन पत्र] या फिर निवासियों द्वारा जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहयोगी कंपनियां हैं, किये गये डेरिवेटिव करार के रूप में हैं, और जिसकी गारंटी अनिवासी व्यक्ति ने दी है [डेरिवेटिव करार के मामले में अनिवासी समूह संस्था] ऐसे मामले तब तक कोई विदेशी मुद्रा का लेनदेन शामिल नहीं होता जब तक गारंटी को लागू नहीं किया जाता है और अनिवासी गारंटर को उस गारंटी के अंतर्गत पैदा हुई देयता को पूरा करना पड़ता है। यह व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों पर की जाएगी:*

i. अनिवासी गारंटर अपनी देयता को इस प्रकार पूरा कर सकता है i) भारत में स्थित रुपया शेष में से भुगतान करते हुए अथवा ii) भारत में निधियों का विप्रेषण करते हुए अथवा iii) भारत में एडी बैंक के पास स्थित उसके एफसीएनआर [बी] / एनआरई खाते में डेबिट करते हुए;

ii. ऐसे मामलों में अनिवासी गारंटर उस राशि को वसूल करने के लिए निवासी उधारकर्ता के विरुद्ध दावा ठोक सकता है और उसकी वसूली हो जाने पर वह यदि ऐसी देयता को आतंरिक विप्रेषण करते हुए अथवा एफसीएनआर [बी]/ एनआरई खाते में डेबिट करते हुए चुकाया गया हो तो उस राशि का प्रत्यावर्तन करने की अपेक्षा कर सकता है। तथापि, जहां रुपयों की शेष राशि में से भुगतान करते हुए ऐसी देयता की चुकौती की गयी हो वहां वसूल की गयी राशि उस अनिवासी गारंटर के एनआरओ खाते में जमा की जा सकती है।

iii. किसी निवासी व्यक्ति को मुख्य ऋणी के नाते भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को, जिसने उस गारंटी के अंतर्गत पैदा हुई अपनी देयता को पूरा किया है, भुगतान करने के लिए सामान्य अनुमति उपलब्ध है।

iv. जहां अनिवासी व्यक्ति ने भारत में राशियाँ विप्रेषित करके अपने एफसीएनआर [बी] / एनआरई खाते में डेबिट करते हुए अपनी देयता को चुकाया है ऐसे मामले में उसका पुनर्भुगतान गारंटर के एफसीएनआर [बी] / एनआरई / एनआरओ खाते में जमा करते हुए किया जा सकता है बशर्ते, विप्रेषित / जमा की गयी राशि अनिवासी गारंटर द्वारा लागू की गयी गारंटी की राशि के रुपयों में समतुल्य राशि से अधिक नहीं होती है।

v. "

[20] दिनांक 12 जनवरी 2026 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 19 द्वारा हटाया गया। हटाने के पहले यह निम्नानुसार पढ़ा जाता *था "**20. ऋण वृद्धि की सुविधाएं:** पात्र अनिवासी संस्थाओं द्वारा (जैसे आईएफसी, एडीबी, जैसी आदि बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाएं / क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं और पूर्णतः अथवा अंशतः सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाएं, प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष इक्विटी धारक) घरेलू ऋण जो पूंजी बाजार लिखत, जैसे रुपये में मूल्यवर्गित बॉण्ड या डिबेंचर जारी करते हुए जुटाया गया हो, उसे बढ़ाने की सुविधाएं स्वचालित मार्ग से ईसीबी जुटाने के लिए पात्र सभी उधारकर्ताओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध हैं:*

i. आधारभूत ऋण लिख़त की औसत परिपक्वता अवधि न्यूनतम तीन वर्ष होनी चाहिए ;

ii. ऐसे पूंजी बाजार के लिखतों के लिए समय से पूर्व चुकौती और कॉल / पुट विकल्प की न्यूनतम तीन वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि तक अनुमति नहीं है;

iii. ऋण वृद्धि के संबंध में गारंटी फीस और अन्य लागत उसमें निहित मूल राशि के अधिकतम 2 प्रतिशत तक सीमित होगी;

iv. ऋण वृद्धि लागू किये जाने के बाद यदि गारंटर उस देयता को पूरा करता है और यदि उसकी चुकौती विदेशी मुदा में करने के लिए पात्र अनिवासी संस्था को अनुमति दी गयी है तो समग्र लागत की उच्चतम सीमा, जो मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित व्यापार उधार / ईसीबी की परिपक्वता अवधि के लिए लागू है वह नवीकृत (novated) ऋण पर भी लागू है;

v. यदि पुनर्भुगतान में चूक हो और वह ऋण भारतीय रुपयों में चुकाया गया हो तो लागू ब्याज दर बांडों के कूपन अथवा ऋण के नवीकरण (novated) की तारीख को भारत सरकार की प्रतिभूति के 5 वर्षों की प्रचालित गौण बाजार की आय के ऊपर 250 बीपीएस पॉइंट, इनमें से जो भी अधिक हो के समतुल्य होगी;

vi. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – बुनियादी सुविधा वित्त कंपनियाँ, जो ऋण वृद्धि सुविधा का लाभ उठाने का प्रस्ताव कर रही हैं, उन्हें दिनांक 12 फरवरी 2010 के परिपत्र डीएनबीएस. पीडी. सीसी. सं 168/ 03.02.089/2009-10 में निर्धारित पात्रता मानदंडो का और विवेकपूर्ण मानदंडो का अनुपालन करना होगा और यदि नवीकृत (novated) ऋण विदेशी मुद्रा में लिया गया हो तो आईएफसी को उस पूरे विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की प्रतिरक्षा (हेज) करनी होगी; और

vii. ईसीबी के लिए लागू रिपोर्टिंग की व्यवस्था इन नवीकृत (novated) ऋणों पर भी लागू होगी।"

इस मास्टर निदेश में समेकित की गयी अधिसूचनाओं / परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	अधिसूचना	तारीख
1	फेमा 3आर/2018- आरबी	17 दिसंबर 2018
2[21]	फेमा 8(R)/2026- आरबी	6 जनवरी, 2026
क्रम सं.	**परिपत्र**	**तारीख**
1	ए.पी [डीआईआर सीरीज़] परिपत्र सं. 17	16 जनवरी 2019
2	ए.पी [डीआईआर सीरीज़] परिपत्र सं. 18	8 फरवरी 2019
3	ए.पी [डीआईआर सीरीज़] परिपत्र सं. 23	13 मार्च 2019
[22]4	ए.पी [डीआईआर सीरीज़] परिपत्र सं. 04	30 जुलाई 2019
[23]5	ए.पी. [डीआईआर सीरीज़] परिपत्र सं. 01	07 अप्रैल 2021
[24]6	ए.पी. [डीआईआर सीरीज़] परिपत्र सं. 19	08 दिसंबर 2021
[25]7	ए.पी. [डीआईआर सीरीज़] परिपत्र सं. 11	01 अगस्त 2022
[26]8	ए.पी. [डीआईआर सीरीज़] परिपत्र सं. 16	30 सितंबर 2022
9	ए.पी. [डीआईआर सीरीज़] परिपत्र सं. 19	12 जनवरी 2026

[21] विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2026 द्वारा अधिक्रमित किया गया।
[22] दिनांक 30 जुलाई 2019 के ए.पी [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं. 04 द्वारा जोड़ा गया ।
[23] 07 अप्रैल 2021 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 01 द्वारा जोड़ा गया।
[24] दिनांक 8 दिसंबर 2021 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 19 द्वारा जोड़ा गया।
[25] दिनांक 01 अगस्त 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.11 द्वारा इसे जोड़ा गया।
[26] दिनांक 30 सितंबर 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.16 द्वारा इसे जोड़ा गया है।